न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 07/2018पुराना,36/2023नया दायर तारीख :– 27.02.2018

1. भगवानी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
2. नन्दाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण (फौत) के बजाय
   2/1 गल्कु देवी पत्नी नन्दाराम
   2/2 विनोद कुमार यादव पुत्र नन्दाराम
   2/3 कालूराम यादव पुत्र नन्दाराम
3. मूलचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. बसन्ती पुत्री लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति अहीर निवासी सुन्दरपुरा तहसील कि0 रेनवाल

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम (फौत) नाम हजफ
2. गल्कू देवी पत्नी शिवनारायण (फौत) के बजाय
   2/1 गोपाल पुत्र शिवनारायण
   2/2 श्रवण पुत्र शिवनारायण
   2/3 ओमप्रकाश पुत्र शिवनारायण
   2/4 पन्नी पुत्री शिवनारायण

समस्त जाति अहीर निवासी सुन्दरपुरा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री जयंत चौधरी , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री शंकरलाल काजला , विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी 2/1 से 2/4

निर्णय

निर्णय दिनांक 25/6/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिसका संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 44 बीधा 11 बिस्वा बारानी सोयम वाके ग्राम सुन्दरपुरा पटवार हल्का मूण्डियागढ तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है जो पक्षकारान की पूर्वजो की पुश्तैनी आराजी है जो पूर्व में साधूराम , कानाराम पि0 भूराराम के नाम दर्ज थी। कानाराम के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान लक्ष्मीनारायण, जगदीश , रामकुंवार, रामनारायण पि0 कानाराम के नाम विरासत के रूप में प्राप्त शुद्धा आराजी है इस प्रकार उक्त आराजी मौरूसी आराजी है। पक्षकारान का सिजरा खानदान प्रार्थना पत्र में वर्णित है। जिसमें कानाराम के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मीनारायण को उक्त आराजीयात जरियें नामान्तकरण संख्या 15 के प्राप्त हुयी है। जिसमें रिहायशी मकानात/बाडे बने हुये है और वादीगण नम्बर 2 लगायत 5 प्रतिवादी नम्बर 1 के जायन्दा पुत्रान व पुत्री तथा वादिनी नम्बर1 पत्नी होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके हित बाई बर्थ निहित हो गये है। क्यो कि विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। प्रतिवादी नम्बर 1 की स्वअर्जित नहीं है। अतः प्रतिवादी नम्बर 1 के दर्ज हिस्से में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 के समान हिस्से के हकदार है और काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी नम्बर 1 लक्ष्मीनारायण परिवार का कर्ता मुखिया होने के कारण उसके नाम 3/40 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

अंकित होने से उसका नाजायज फायदा उठाते हुये वादीगण को पुश्तैनी आराजी के अधिकारों से वंचित करते प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 17.06.2006 को प्रतिवादी नम्बर 2 को 3/40 हिस्सा में से 3/4हिस्सा यानी कुल भूमि का 9/160 वा हिस्सा बेचान कर दिया जब कि मौके पर प्रतिवादीनी नम्बर 2 को कोई कब्जा नहीं दिया गया है। आज भी सम्पूर्ण 3/40 हिस्सा पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 शामिल में काबिज है मकानात व बाडे बना रखे है ताथ काश्त करते है और उपयोग व उपभोग करते आ रहे है और उक्त बेचान बिना कब्जे के बिना प्रतिफल आद किये नुमाईशी तौर पर किया गया है जिससे वादीगण कतई पाबन्द नहीं है व बमुकाबिले वादीगण उक्त बेचान पत्र बातिल व बेअसर है तथा निरस्त किये जाने योग्य है वादीगण नम्बर 2 लगायत 5 जायन्दा पुत्रान व पुत्री है व वादिनी नम्बर 1 पत्नी है। प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त आराजी कानाराम पुत्र भूराराम के स्वर्गवास के बाद विरासत में प्राप्त शुद्धा आराजी है और वादीगण नम्बर 2 लगायत 5 जायन्दा पुत्रान व पुत्री होने से पुश्तैनी आराजी में उनके हित बाई बर्थ निहित हो गये है। और प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपना हक पूर्व में विक्रय कर चुका है। उक्त 3/40 हिस्सा की आराजी वादीगण के अधिकार की है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीनी नम्बर 2 को कथित बेचान के आधार पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीनी नम्बर 2 बेचान के आधार पर विवादित आराजी पर कब्जा करने व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर उतारू है। इस गर्ज से दिनांक 08.07.2006 को प्रतिवादीनी नम्बर 2 कुछ लोगो को लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आयी और जबरन कब्जा करने की चेष्टा की, बडी मुश्किल से लोगो ने उनको रोका किन्तु जाते समय एलानिया कब्जा करने व नामान्तकरण खुलाने की धमकी दी ऐसी स्थिति में वादीगण के हकूको कीरक्षार्थ के दिनांक 04.09.08 को न्यायालय ए0सी0जे0एम साहब सांभरलेक के यहा वाद प्रस्तुत किया था जो मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.018 को इस निर्देश के साथ खारिज फरमा दिया गया कि वादीगण द्वारा अपने पक्ष में कोई घोषणातम्क डिक्री राजस्व न्यायालय से पारित नहीं करवाली जाती है। तब तक वादीगण को उक्त वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त न्यायालय को उक्त वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त न्यायालय द्वारा उनवानी मुकदमा भगवानी बनाम गलकू खारिज किये जाने के पश्चात प्रतिवादीनी नम्बर 2 दिनांक 04.02.18 को कुछ असमाजिक तत्वो को अपने साथ लेकर आई तथा वादीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजीयात वर्णित मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र से बेदखल करने का असफल प्रयाद किया इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष अपने हकूको की रक्षा हेतु यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के पेश करना आवश्यक हुआ ।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार सरकार है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर वकील शंकरलाल काजला उपस्थित हुये जिनके द्वारा पेश जवाब निम्न प्रकार है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम सुन्दरपुरा तह0 कि0 रेनवाल में स्थित होना स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। केवल लक्ष्मीनारायण, जगदीश, रामकुंवार, रामनारायण पि0 कानाराम के नाम उक्त आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 गलत होने पर अस्वीकार है। वाद पत्र का नम्बर 5 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है तथा लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात में से प्रतिवादिया संख्या 2 को भूमि बेचान करना स्वीकार है।

2. प्रार्थना मद नम्बर 6 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार वर्णित तिकये गये आंशिक रूप से अस्वीकार है। प्रतिवादिया संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम जाति अहीर निवासी सुन्दरपुरा द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था तब से क्रय की गई भूमि पर प्रतिवादिया संख्या 02 काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है। जिससे बेदखल करने का व उसके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने का वादीगण को कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। व अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि वादीगण द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में एक वाद पूर्व मे ही पेश किया गया था। जिसको मान्य न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से सुनवायी की जाकर पूर्व में निस्तारित किया जा चुका है। उक्त तथ्यों को वादीगण ने जानबूझकर मान्य न्यायालय से छिपाकर उक्त वाद पेश किया है इसलिए यह स्पष्ट है कि वादीगण मान्य न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्त करने हेतु स्पष्ट हाथो से नहीं आये है। एंव बार बार सही वास्तविक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर रहे है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 को हैरान व परेशान करने के उदेश्य से वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध मे पूर्व में एक वाद मान्य न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 165/06 नन्दाराम बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 के नाम से पेश किया था एंव उक्त वाद के साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 133/06 नन्दाराम बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 के उनवान से प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.06 को पूर्ण रूप से दोनो पक्षो की पूर्ण रूप से सुनवाई की जाकर खारिज किया जा चुका है एंव उनवानी वाद नन्दाराम बनाम लक्ष्मीनारायण वाद संख्या 165/06 को भी मान्य न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार से मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त वाद रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर एंव पूर्व वाद के सिद्धांत के आधार पर कानूनी प्रावधान के तहत सुनवायी किये जाने से बाधित है। इसलिए वादीगण का वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा पूर्व में वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मान्य न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 17/06 प्रस्तुत की गई थी। जो उनवानी भूरी देवी बनाम ग्राम पंचायत खेडी मिल्क वगै0 पेश की गई थी। जिसको भी मान्य न्यायायल के द्वारा दोनो पक्षकारों का सुनवाई का मौका देते हुये अंतिम रूप से दिनांक 24.12.2007 की अपील भी वादीगण द्वारा अपील संख्या 18/09 भूरीदेवी बनाम ग्राम पंचायत खेडी वगै0 के उनवान से न्यायायल अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की गई थी। जिसमें न्यायालय ने दोनो पक्षो की विधिक रूप से सुनवाई का अधिकार देते हुये उकत आपील को अंतिम रूप से दिनांक 29.09.09 निस्तारित करते हुए अधीनस्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के निर्णय दिनांक 24.12.07 को उचित एंव विधिक मानते हुए बहाल रखा गया था। इस प्रकार से वादीगण ने मान्य न्यायालय से अपने उक्त वाद पत्र में सम्पूर्ण सही एंव वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय के द्वारा निर्णियों को जानबूझकर छिपाते हुए मात्र प्रतिवादिया संख्या 2 जो कि एक वृद्ध महिला है उसको हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से बार–बार झूंठे वाद पेश कर रह रहे है। इसलिए कानूनी रूप से एंव रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर व पूर्व वाद के निर्णय के विधिक सिद्धांत के आधार पर पूर्व वाद के निर्णय के विधिक सिद्धांत के आधार पर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 02 एक सद्भावी क्रेता है जिसने पूर्ण रूप से प्रतिफल राशि की अदायगी करके उक्त आराजीयात का क्रय की है एंव वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रतिवादिया संख्या 2 के अलावा लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम द्वारा अन्य व्यक्तियों को 1988 से लेकर सन् 2006 तक कही बेचान पत्र तस्दीक करवाये है तथा अपने हिस्से की आराजीयात में से भूमिया बेचान करते हुये विक्रय पत्र तस्दीक करवाये है। उन विक्रय पत्रों को सन् 1988 से 2006 तक प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मीनारायण द्वारा बेचान की गई भूमि के विक्रय पत्रों को जो कि अन्य लोगों को जरिये विक्रय पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़रेनवाल

बेचान की गई है। वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र में चैलेंज नहीं किया गया है। और ना ही सन् 1988 से लेकर 2006 तक प्रतिवादी संख्या 01 लक्ष्मीनारायण द्वारा बेचान की गई भूमियों का कोई हवाला वाद पत्र में दिया गया है इससे साफ जाहिर है कि वादीगण मात्र केवल मात्र प्रतिवादिया संख्या 2 का हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से बार बार प्रतिवादी संख्या 02 को पक्षकार कायम किया जाकर गलत व झूंठे तथ्यों पर वाद पेश किया गया है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम की आराजीयात के सम्बन्ध में मान्य न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.12.2007 एंव मान्य नयायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपील संख्या 18/19 मे पारित निर्णय दिनांक 29.09.09 अंतिम रूप से निर्णय किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय से पूर्ण से श्रीमान न्यायालय कानूनी रूप से बाधित है कि जो उक्त निर्णय विधिक रूप से पारित किया गया था उसमें आज तक कोई अपील विचाराधीन नहीं है। और ना ही उक्त निर्णय बदला गया है। इसलिए अंतिम रूप से अपील संख्या 18/19 भूरी देवी बनाम ग्राम पंचायत खेडी न्यायायल अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.09.09 उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने से आज भी कानूनी रूप से उक्त निर्णय प्रभावी रूप से लागू हैं। वादी गण का वाद कतई कानूनी प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3. उपस्थित उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी है।

4. बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी ने घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है तथा पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उभर के सामने आते है कि उक्त प्रार्थना पत्र पैतृक सम्पति के संबंध में जिसमें वादीगण द्वारा अपने पिता से हिस्सा चाहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में यह अंकित किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पूर्व में भी वाद चले है। जिससे यह वाद रेस ज्यूडिकेटा के सिद्वांत से प्रभावित है। प्रतिवादी संख्या 2के अलावा भी लक्ष्मीनारायण द्वारा अन्य व्यक्तियों 1988 से लेकर सन् 2006 तक कही बेचान पत्र तस्दीक करवाये है। तथा अपने हिस्से की आराजीयात में से भूमिया बेचान करते हुए विक्रय पत्र तस्दीक करवाये है। वादी द्वारा उक्त वाद में अन्य लोंगों का चैलेंज नहीं किया है। ना ही सन् 1988 से लेकर 2006 तक प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मीनारायण द्वारा बेचान की गई भूमियों का कोई हवाला वाद पत्र में दिया गया है। इससे वाद मात्र प्रतिवादी संख्या 2 को हैरान व परेशान के उद्वेश्य से बार बार प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार कायम किया गया है। इस प्रकार से उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में करने में साबित करने पर असफल रहा है। जब प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है तो सुविधा का संतुलन बिन्दू पर न्यायालय का मत है कि अप्रार्थी को विधिक कार्यवाही से रोका जाना उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे उन्हें वंचित किया जाने पर उन्हें किसी क्षति की संम्भावना है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र में तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहे है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित न होने पर खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

भगवानी देवी बनाम लक्ष्मीनारायण
प्रार्थना पत्र सं0 07/18

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित न होने पर खारिज किया जाता है।
निर्णय दिनांक 25/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल